<u>प्रेस नोट</u>

<u>थाना मऊरानीपुर, झांसी</u>

<u>दिनाँकः 27.02.2026</u>

- **जनपद झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु की जा रही प्रभावी कार्यवाही.**
- **थाना मऊरानीपुर पुलिस द्वारा बिजली उपकेन्द्र में कार्यसरकार में बाधा उत्पन्न करने एवं मन्दिर में घुसकर मूर्ति को खण्डित करने के संबंध में पंजीकृत अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया,**

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय व श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह के कुशल निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के कुशल पर्यवेक्षण व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध नियंत्रण एवं घटनाओं की रोकथाम तथा अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनाँक 27.02.2026 को थाना मऊरानीपुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 74/2026 धारा 115(2),352,351(3),298,121(1),132 BNS मे वाँछित अभियुक्त रोहित अहिरवार पुत्र स्व0 हरदयाल उम्र करीब 23 वर्ष निवासी पुरानी मऊ शिवगंज, कस्बा व थाना-मऊरानीपुर, जनपद-झाँसी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गई।

<u>संक्षिप्त विवरण-</u> दिनांक 27.02.2026 को वादी श्री सुभाष कुमार(अवर अभियन्ता) मऊरानीपुर ग्रामीण के प्रार्थना-पत्र बावत दिनांक 26.02.2026 को रात्रि में समय करीब 22:50 बजे विपक्षी रोहित अहिरवार पुत्र स्व0 हरदयाल निवासी पुरानीमऊ शिवगंज, कस्बा व थाना-मऊरानीपुर, जनपद-झाँसी द्वारा बिजली उपकेन्द्र 33/11 केवी मऊरानीपुर गुरसरांय रोड पर आनलाइन डियूटी पर तैनात एसएसओ श्री अशोक कुमार व लाइनमैन ब्रजकिशोर के साथ गाली गलौज कर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देते हुए कार्यसरकार में बाधा पहुँचाने तथा शकंर जी के मन्दिर में घुसकर मूर्ति को खण्डित करने करे सम्बन्ध में प्राप्त होने पर विपक्षी अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पुर मु0अ0सं0 74/2026 धारा 115(2),352,351(3),298,121(1),132 BNS पंजीकृत किया गया।

विवेचना के क्रम में आज दिनांक 27.02.2026 को मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वाँछित अभियुक्त रोहित उपरोक्त को रेलवे स्टेशन मऊरानीपुर के पास से गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। ।

<u>अभियुक्त का विवरणः</u>- रोहित अहिरवार पुत्र स्व0 हरदयाल निवासी पुरानीमऊ शिवगंज कस्बा व थाना मऊरानीपुर जनपद झाँसी

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –</u>

1. उ0नि0 श्री सुभाषचन्द्र,
2. का0 318 अमन सिंह,
3. हो0गा0 1419 कृष्ण कुमार ।